न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र कोलीवाडा

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 17 / 2012
दायरा तिथि 13.03.2012
निर्णय तिथि 18.05.2017

वादीगण–	**बनामः**	**प्रतिवादीगण–**
1–धन्नाराम पुत्र नेमारामजी 2–गणेशराम पुत्र नेमारामजी 3–प्रकाशकुमार पुत्र नेमारामजी जातिगण मेघवंशी निवासीगण कोलीवाडा हाल चक्की वाली गली (आकरिया वास) बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही (राजस्थान)		1–स्व.नेमाराम पुत्र जोधाजी के का.मु.– 1 / 1–चुनीबाई पत्नी नेमारामजी 1 / 2–अमीया पुत्री नेमारामजी 1 / 3–राधा पुत्री नेमारामजी 1 / 4–कमला पुत्री नेमाराजी 2–हजाराम पुत्र जोधाजी 3–स्व.बाबुलाल पुत्र तेजारामजी के का.मु.– 3 / 1–चौथीदेवी पत्नी बाबुलालजी 3 / 2–रीना पुत्री बाबुलालजी 3 / 3–प्रवीणकुमार पुत्र बाबुलालजी 3 / 4–जितेन्द्रकुमार पुत्र बाबुलालजी 3 / 5–राहुल पुत्र बाबुलालजी 3 / 6–अम्बालाल पुत्र बाबुलालजी तमाम जातिगण मेघवंशी निवासीगण कोलीवाडा तह.सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट,1955

–: नि र्ण य :–

निर्णय तिथि 18.05.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र कोलीवाडा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, राजस्व लोक अदालत केम्प की भावना के तहत पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले में वर्णित वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादीगण द्वारा यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि सरहद मौजा कोलीवाडा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 999 रकबा 0.72 हेक्टर किस्म जवाई नहरी प्रथम व खसरा नं. 8 रकबा 2.16 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम आयी हुई है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के पूर्व खातेदार जोधाराम पुत्र रूपारामजी मेघवंशी के चार पुत्र क्रमशः तेजाराम, नेमाराम, वेनाराम व हजाराम पैदा हुए जिनमें से वेनाराम लाऔलाद फौत होने से उनका हिस्सा प्रतिवादी सं.01, 02 व 03 को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार वादीगण प्रतिवादी सं.01 के पुत्रगण होने से जन्म होते ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत को उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हो चुके है, परन्तु अव्यस्क होने से उक्त वादग्रस्त कृषि पर वादीगण के पिता प्रतिवादी नेमारामजी काबिज होकर काश्त करते रहे और जब वादीगण व्यस्क हुए तब प्रतिवादी नेमारामजी ने उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण को कब्जा सुपुर्द कर दिया तब से लगातार वादीगण उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपने हिस्से अनुसार

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

काबिज होकर शांति पूर्वक काश्त व उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है, परन्तु प्रतिवादी सं.02 व 03 का भी उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर संयुक्त कब्जा काश्त होने से वादीगण को अपनक हिस्से की कृषि भूमि पर काश्त करने व फसल बोने में परेशानी पैदा कर रहे है तथा बेदखल करने की धमकिया देते है। इसलिए वादीगण का यह वादपत्र स्वीकार व डिक्री फरमाकर उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् वादीगण को खातेदार घोषित करके पक्षकारों के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत विभाजन करवाये जाने व राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किए जाने का आदेश प्रदान करावे, इसके अलावा वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि वादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे, ना ही अन्य किसी से करावे। वादीगण ने वादपत्र के साथ साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः नामान्तकरण सं.37/29.04.1989, संबंधित जमाबंदिया संवत् 2044–47 खाता सं.82 व 207, जमाबंदिया संवत् 2048–51 खाता सं.95 व 221, जमाबंदिया संवत् 2052–55 खाता सं.104 व 227, जमाबंदिया संवत् 2056–59 खाता सं.168 व 169, जमाबंदी वर्ष 2005 खाता सं.161 इत्यादि की प्रमाणित छाया प्रतियां प्रस्तुत की है।

(2) कि कथित मामले में प्रतिवादी सं.02 ने अपने जवाबदावे एवं विशेष कथनों में अभिव्यक्त करते हुए वादीगण के वादपत्र में दर्शाए अधिकांश कथनों व तथ्यों को नकारते हुए यह जाहिर किया है कि ग्राम कोलीवाडा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 999 रकबा 0.72 हेक्टर व खसरा नं. 8 रकबा 2.16 हेक्टर कुल रकबा 2.88 हेक्टर में वादीगण का कोई खातेदारी हक अधिकार नहीं है, ना ही कब्जा काश्त है। बल्कि खसरा नं. 8 रकबा 2.16 हेक्टर व अन्य भूमि खसरा नं. 10 रकबा 0.65 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम में से वादीगण के पिता पूर्व खातेदार स्व.नेमाराम ने अपने जीवनकाल में ही अपना खातेदारी 1/3 हिस्सा जरिए लिखत हकतर्कनामा पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 30.07.2010 द्वारा प्रतिवादी सं. 02 हजाराम के हक में हस्तान्तरण कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तब से उक्त भूमि के 2/3 हिस्से पर एकमात्र प्रतिवादी सं.02 हजाराम का ही व 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी सं.03 स्व.बाबूलाल पुत्र तेजाराम के वारिसान का कब्जा काश्त आज तक शांति पूर्वक चला आ रहा है। इसके अलावा वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 999 रकबा 0.72 हेक्टर में 1/3 – 1/3 हिस्सा नेमाराम, बाबूलाल व हजाराम पि.जोधाजी का रहा था, जिसमें से वादीगण के पिता स्व.नेमाराम ने अपने जीवनकाल में गत् 15 वर्षो पूर्व अपना 1/3 हिस्सा खातेदारी का जरिए लिखत बैचान पंजीबद्ध दस्तावेज द्वारा श्रीमती बदामी पत्नी शंकरलाल कौम मेघवाल निवासी कोलीवाडा को हस्तान्तरण कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था, जो वर्तमान समय में खातेदार प्रतिवादी सं.03 स्व.बाबूलाल पुत्र तेजाराम के वारिसान का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं.02 हजाराम का 1/3 हिस्सा तथा श्रीमती बदामी पत्नी शंकरलाल का 1/3 हिस्सा दर्ज है व इसी हिस्सानुसार काबिज व काश्त करते आद रहे है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् वादीगण अथवा उनके पिता स्व.नेमाराम का किसी प्रकार से कोई हक या अधिकार नहीं बनता है तथा ना ही कोई कब्जा काश्त है अर्थात वादीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह वादपत्र पेश किया है जो कानूनन चलने योग्य व पोषणीय नहीं होने से काबिल खारिज है, जिसे सव्यय खारिज फरमावे। प्रतिवादी सं.02 हजाराम ने अपने जवाबदावे व विशेष कथनों के साथ साक्ष्य–दस्तावेज लिखत हकतर्कनामा पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 30.07.2010 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

(3) कि राजस्व लोक अदालत केम्प की मंशा के अनुरूप पक्षकारों को सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से प्रश्नगत् मामले में उल्लेखित तमाम रेकर्ड इत्यादि पर मनन व विचारण किया, तत्पश्चात् हमने, पाया है कि वादीगण द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः जमाबंदी संवत् 2044–47 के अनुसार विवादित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 999 व 8 कुल रकबा 2.88 हेक्टर जोधा वल्द रूपा कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार दर्ज थी, जोधा की मृत्यु बाद उनके पुत्रगण तेजाराम, नेमाराम, वेनाराम व हजाराम पि.जोधा कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार दर्ज हुई, उसके बाद जमाबंदी संवत् 2052–55 के अनुसार

लगातार–3

उपखण्ड अधिकारी
समेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त खसरा नंबरान की कृषि भूमि तेजाराम, नेमाराम व हजाराम कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार के नाम दर्ज हुई, उक्त भूमि के खातेदार तेजाराम की मृत्यु बाद बाबूलाल पुत्र तेजाराम व धापू बेवा तेजाराम के नाम दर्ज हुई व शेष खाता बदस्तुर रहा, उसके बाद उपरोक्त कृषि भूमि जमाबंदी संवत् 2056–59 के अनुसार धापू बेवा तेजाराम की मृत्यु बाद इनके स्थान पर बाबूलाल पुत्र तेजाराम का नाम व शेष खाता बदस्तुर दर्ज रहा। इसके अलावा जमाबंदी संवत् 2052–55 के अनुसार विवादित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 10 रकबा 0.65 हेक्टर बाबूलाल पुत्र तेजाराम, धापू बेवा तेजाराम, नेमाराम पुत्र जोधा, हजाराम पुत्र जोधा कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार दर्ज हुई, तत्पश्चात् धापू बेवा तेजाराम की मृत्यु बाद इनके स्थान पर बाबूलाल पुत्र तेजाराम का नाम व शेष खाता बदस्तुर दर्ज रहा अर्थात जमाबंदी वर्ष 2005 में दर्ज प्रविष्ठि अनुसार विवादित भूमि हाल खसरा नं. 8 रकबा 2.16 हेक्टर, खसरा नं. 10 रकबा 0.65 हेक्टर व खसरा नं. 999 रकबा 0.72 हेक्टर बाबूलाल पुत्र तेजाराम, नेमाराम व हजाराम पि. जोधा कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार दर्ज रही है। इसी संदर्भ में पटवारी हल्का कोलीवाडा व भू–अभिलेख निरीक्षक सुमेरपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 02.06.2016 के अनुसार वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072–75 में दर्ज प्रविष्ठि अनुसार विवादित भूमि हाल खसरा नं. 999 रकबा 0.72 हेक्टर में प्रवीणकुमार, राहुल, अभिषेक, जितेन्द्र पि. बाबूलाल, रीना पुत्री बाबूलाल व हजाराम पुत्र जोधा एवं बिदामी पत्नी शंकरलाल कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार दर्ज है, इसी प्रकार अनुसार विवादित भूमि हाल खसरा नं. 8 रकबा 2.16 हेक्टर व खसरा नं. 10 रकबा 0.65 हेक्टर में प्रवीणकुमार वगैरा 1/3 हिस्सा व हजाराम पुत्र जोधा 2/3 हिस्सा कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार दर्ज है।

इस प्रकार उल्लेखित विश्लेषण व विवेचनाओं के फलस्वरूप वादी द्वारा वादपत्र में अभिव्यक्त किए गये कथनों व तथ्यों की प्रामाणिक रूप से बखुबी पुष्ठि नहीं होती है बल्कि प्रतिवादी सं.02 हजाराम द्वारा प्रस्तुत किए गये जवाबदावा व विशेष कथनों में अभिव्यक्त तथ्यों व कथनों की प्रामाणिक रूप से बखुबी पुष्ठि होती है। इसके अलावा वादीगण द्वारा वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 999 रकबा 0.72 हेक्टर से संबंधित अन्य सहखातेदार श्रीमती बदामी पत्नी शंकरलाल कौम मेगवंशी सा. कोलीवाडा को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी उन्हें इस वादपत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया है जो कि कानूनन उचित प्रतीत नहीं होता है, इसके अलावा भी वादीगण द्वारा अपने कथित वादपत्र में अपने पिता स्व.नेमाराम को बतौर प्रतिवादी सं.01 के रूप में संयोजित किया है उनकी मृत्यु पश्चात् उनके वारिसान के बतौर प्रतिवादी सं. 1/1 लगाय 1/4 को संयोजित किया है, उनकें विधिक व निहित हक–अधिकारों के बारे में वादपत्र अन्तर्गत किसी रूप से जिक्र या उल्लेख नहीं किया है जो कानूनन न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। इसलिए हमारे विधिक विचारों में वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् वादीगण का कथित वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्ट्या चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः सरहद मौजा कोलीवाडा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 999 रकबा 0.72 हेक्टर किस्म जवाई नहरी प्रथम व खसरा नं. 8 रकबा 2.16 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम के बारे में वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानुं के तहत खातेदारी घोषणात्मक, बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करवाये जाने एवं चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत प्रथम दृष्ट्या चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है। माफिक निर्णय प्राथमिक डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक **18.05.2017** को राजस्व लोक अदालत केम्प–कोलीवाडा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner